149 सी.बी.एस.ई. स्कूलों में आऊटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे 1359 पद

■ 5 हजार से 25 हजार रुपए तक मिलेगा वेतन, आया, योगा टीचर, काऊंसलर सहित कई वर्गों में भरे जाने हैं पद

शिमला, 17 अक्तूबर (प्रीति): शिक्षा विभाग 149 सरकारी सी.बी.एस.ई. स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 1359 पद आऊटसोर्स आधार पर भरने जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन को रिक्विजिशन भेज दी है। अब कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को श्रेणी के अनुसार 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई रिक्विजिशन के अनुसार स्कूलों में आया, कैटरिंग सुपरवाइजर, काऊंसलर कम वैलनैस, योग टीचर, चौकीदार, स्वीपर और मल्टी टास्क वर्कर्ज के पद भरे जाने हैं।

आया, कैटरिंग सुपरवाइजर, काऊंसलर कम वैलनैस, योगा टीचर, चौकीदार, स्वीपर के 151-151 पद और मल्टी टास्क वर्कर्ज के 453 पद भरे जाएंगे। विभाग की योजना के तहत प्रत्येक स्कूल में तीन मल्टी टास्क वर्कर्ज की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा एक चौकीदार, एक कैटरिंग सुपरवाइजर और एक काऊंसलर कम वैलनैस की तैनाती भी स्कूल में की जाएगी।

उक्त सभी श्रेणियों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक होगी। गौर हो कि सी.बी.एस.ई. के निर्धारित नियम और शर्तों के मुताबिक विभाग उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है।

प्रदेश के 2 और स्कूलों को मिली सी.बी.एस.ई. से मान्यता

इस दौरान प्रदेश के 2 और सरकारी स्कूलों को सी.बी.एस.ई. से मान्यता मिली है। अब चड़ीयार और पंजगई स्कूल सी.बी.एस.ई. बन गए हैं। ऐसे में प्रदेश में सरकारी सी.बी.एस.ई. स्कूलों का आंकड़ा 149 हो गया है। बताया जा रहा है कि 9 स्कूलों की एफिलिएशन की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में प्रदेश में 158 स्कूल सी.बी.एस.ई. एफिलिएटेड होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 100 स्कूलों को सी.बी.एस.ई. बोर्ड बनाया जाएगा।



2 महिला विशेषज्ञ डाक्टरों का तबादला, डा. दिव्या के पुराने आदेश संशोधित

शिमला, 17 अक्तूबर (संतोष): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रशासनिक हित में 2 चिकित्साधिकारियों (विशेषज्ञ) के समायोजन के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही एक अन्य चिकित्सक के पुराने आदेशों में संशोधन किया गया है।



डा. आकांक्षा शर्मा (नेत्र रोग विशेषज्ञ) को नागरिक अस्पताल नूरपुर (जिला कांगड़ा) से बदलकर अब जोनल अस्पताल धर्मशाला जिला कांगड़ा में तैनात किया गया है। डा. इंदु सिंह (स्त्री रोग विशेषज्ञ) को नागरिक अस्पताल हरोली (जिला ऊना) से समायोजित कर जोनल अस्पताल धर्मशाला जिला कांगड़ा में नई जिम्मेदारी दी गई है। दोनों चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यभार पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

उधर, विभाग द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार 14 सितम्बर को जारी आदेशों में संशोधन करते हुए डा. दिव्या, एम.ओ. (ओ.बी.जी.) के स्थानांतरण आदेशों को वापस ले लिया गया है। वह पहले की तरह नागरिक अस्पताल ज्वाली जिला कांगड़ा में अपनी सेवाएं देती रहेंगी तथा पी.जी. कोर्स से पहले निष्पादित बांड की शर्तों को पूरा करेंगी।

डा. विवेक विशाल लांबा बने संयुक्त निदेशक, डा. अनीश कुमार को भी पदोन्नति

शिमला : पशुपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2 वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है।

सोलन जिले में बतौर उपनिदेशक सेवाएं दे रहे डा. विवेक विशाल लांबा को पदोन्नत कर संयुक्त निदेशक (क्लास-1 गैजेटेड) के पद पर तैनात किया गया है। उन्हें पशुपालन निदेशालय शिमला में संयुक्त निदेशक (भेड़ एवं ऊन) के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही विभाग ने सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत डा. अनीश कुमार की पदोन्नति/प्लेसमैंट आदेश जारी करते हुए उन्हें उपनिदेशक के पद पर पदस्थापित किया है।

विभाग द्वारा दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यभार को संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

'पंजाब केसरी' ग्रुप के राहत अभियान का 965 वां ट्रक जालंधर से भाजपा नेता मिंटा कोछड़ (पूर्व पार्षद) द्वारा भेजी 225 रजाइयां 'ऊधमपुर' में वितरित





'पंजाब केसरी' पत्र समूह पिछले 27 वर्षों से दानवीर सज्जनों के सहयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रयासरत है। इसी उपलक्ष्य में गत दिवस भारत-पाक सीमा पर स्थित जम्मू-कश्मीर के जिला ऊधमपुर में 965वां राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राहत सामग्री का एक ट्रक वितरित गया जोकि जालंधर से भाजपा नेता मिंटा कोछड़ (पूर्व पार्षद) की ओर से भेंट किया गया था जिसमें 225 परिवारों के लिए रजाइयां थीं।

चित्र में सामग्री भेंट करते अश्वनी खजूरिया, प्रीति खजूरिया, डिम्पल सूरी, कांता खजूरिया, वीरेंद्र शर्मा, इकबाल सिंह अरनेजा, सर्बदीप कौर अरनेजा तथा दीपक आनंद।

4 चुनाव कानूनगो नायब तहसीलदार बने, 3 नायब तहसीलदारों को पदोन्नति

■ शिमला, कांगड़ा, चम्बा, सिरमौर और हमीरपुर सहित कई जिलों में की तैनाती

शिमला, 17 अक्तूबर (भूपिन्द्र): प्रदेश सरकार ने चुनाव विभाग में पदोन्नति और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की सिफारिशों के आधार पर 4 चुनाव कानूनगो को नियमित आधार पर नायब तहसीलदार (चुनाव) तथा 3 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार (चुनाव) के पद पर पदोन्नत करने के आदेश दिए हैं।

ये पदोन्नतियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। आदेशों के तहत अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न जिला और उपमंडल चुनाव कार्यालयों में तैनात किया गया है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार ज्वालामुखी में तैनात अजय कुमार को पदोन्नत कर उपमंडल चुनाव कार्यालय देहरा, जिला कांगड़ा में नायब तहसीलदार (चुनाव) लगाया गया है। मनाली में तैनात उमेद सिंह को उपमंडल चुनाव कार्यालय पधर जिला मंडी भेजा गया है। इसी तरह आनी में कार्यरत देवेंद्र सिंह को जिला चुनाव कार्यालय शिमला और बैजनाथ में तैनात ललित कुमार को जिला चुनाव कार्यालय हमीरपुर में नायब तहसीलदार (चुनाव) के पद पर नियुक्त किया गया है। सभी पदोन्नतियां नियमित आधार पर की गई हैं।

दूसरी अधिसूचना के तहत 3 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार (चुनाव) के पद पर पदोन्नत किया गया है। जिला चुनाव कार्यालय शिमला में तैनात लोकेंद्र सिंह को जिला चुनाव कार्यालय कांगड़ा, धर्मशाला में नियुक्त किया गया है। नालागढ़ के उपमंडल चुनाव कार्यालय में तैनात गोपी चंद को जिला चुनाव कार्यालय चम्बा में तैनाती दी गई है। वह अनूप डोगरा के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे।

वहीं पधर में तैनात पूरन चंद को जिला चुनाव कार्यालय नाहन में विजय कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

बी.एम.सी. ने अजय देवगन के बंगले में अवैध निर्माण को तोड़ा

मुंबई, 17 अक्तूबर (एजैंसी): बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बी.एम.सी.) ने मुंबई के पश्चिमी उपनगर जुहू में एक बंगले के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया, जिसे अभिनेता अजय देवगन और उनकी मां का बताया जा रहा है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनधिकृत निर्माण रोकने का नोटिस जारी किए जाने के कुछ दिन बाद यह कार्रवाई की गई।



नगर निकाय के कर्मचारियों ने 12 अक्तूबर को जे.वी.पी.डी. स्कीम स्थित सिपोरेक्स ब्लॉक की अनधिकृत दीवारों को ढहा दिया। यह कार्रवाई मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354ए के तहत जारी नोटिस पर संपत्ति के मालिकों के जवाब को पश्चिम वार्ड कार्यालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद की गई।

सोशल मीडिया अकाऊंट पर हथियार प्रदर्शित करने पर मामला दर्ज

बी.बी.एन., 17 अक्तूबर (शेर सिंह): सोशल मीडिया अकाऊंट पर हथियार प्रदर्शित करने व युवाओं को दुष्प्रेरित करने के मामले में पुलिस थाना नालागढ़ में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में एक युवक अनिल लक्की 3 अन्य युवकों के साथ एक थार गाड़ी के अन्दर पिस्टलनुमा हथियारों का प्रदर्शन कर रहा था।

पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा इस प्रकार सरेआम हथियारों का प्रदर्शन करना समाज में भय का माहौल पैदा करने और युवा वर्ग को अपराध की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने का गैर-कानूनी कृत्य है।

पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि इस संबंध में पुलिस द्वारा मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस थाना नालागढ़ में आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 30 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा मामले के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने नागरिकों एवं युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन करने, भड़काऊ सामग्री डालने या ऐसी अपुष्ट सूचनाओं व अफवाहों को बढ़ावा न दें। बद्दी पुलिस द्वारा क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

सरकारी कॉलेजों में दृष्टिबाधित कर्मचारी मैनुअल लगा सकेंगे हाजिरी

शिमला, 17 अक्तूबर (प्रीति): हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मचारियों को बॉयोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से हाजिरी लगाने में राहत दी गई है। अब ऐसे कर्मचारी बॉयोमीट्रिक के बजाय मैनुअल तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकेंगे।

इस संबंध में संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक सुनीता सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश और नैशनल फैडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की मांग पर निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (ई-सोमसा) ने बीते जुलाई में पत्र जारी कर इस मामले को उठाया था।

जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कॉलेजों में कार्यरत दृष्टिबाधित कर्मचारियों को (ई-सोमसा) की 10 मई 2023 की अधिसूचना के अनुरूप मैनुअल उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। यह सुविधा तब तक जारी रहेगी, जब तक सक्षम प्राधिकारी की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था तय नहीं कर दी जाती।

मानहानि का मामला

यू-ट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (एजैंसी): दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के आई.टी. प्रकोष्ठ के एक सदस्य द्वारा 2018 में दायर मानहानि मामले में शनिवार को यू-ट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। न्यायिक मैजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास पांडे की ओर से दायर मामले में यह वारंट जारी किया जिन्होंने राठी के यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर उन पर मानहानि का आरोप लगाया है।

अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर की तारीख तय की है।

बोरवैल में फंसा बच्चा 39 घंटे के बाद जिंदगी की जंग हारा

फलोदी, 17 अक्तूबर (ब्यूरो): राजस्थान के फलोदी जिले में बोरवैल में गिरे 9 साल के भोमाराम को बचाने की कोशिशें आखिरकार नाकाम रहीं। करीब 39 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद शनिवार तड़के 3.35 बजे बच्चे को बाहर निकाला गया। उसे एम्बुलैंस से लोहावट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

15 अक्तूबर को दोपहर 12.30 बजे पूनिया की ढाणी में भोमाराम 1050 फुट गहरे बोरवैल में गिरकर करीब 640 फुट की गहराई पर फंस गया था। बच्चे से लगभग 30 फुट ऊपर एक पत्थर फंसा होने से बचाव दल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
विज्ञापन संख्या : आर/14/2026 दिनांक 14 सितंबर 2026
संस्थान निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
(1) पेशेवर प्रशिक्षु (केंद्रीय पुस्तकालय) - 08 पद
शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अद्यतन जानकारी के लिए http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions पर जाएं।
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31-10-2026
cbc 21255/11/0013/2627 कुलसचिव / Registrar

दिल्ली के कारोबारी ने माता दरबार में भेंट किए सोने के आभूषण

नयना देवी, 17 अक्तूबर (मुकेश) : शक्तिपीठ श्री नयना देवी में शारदीय नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु दिल खोलकर माता जी के चरणों में चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। माता जी के दर्शन के लिए आए दिल्ली के कारोबारी ने माता के दरबार में सोने के आभूषण भेंट किए।



इनमें सोने का हार, टिक्का, झुमके, नथ और नेत्र अर्पित किए। स्थानीय पुजारी रिंकू शर्मा ने बताया कि माता के दरबार में दिल्ली के कारोबारी प्रवेश गर्ग ने मनौती पूर्ण होने पर माता के चरणों में सोने का सेट अर्पित किया।

एल.ओ.सी. के तहत एयरपोर्ट पर रोके गए अमरदीप सिंह ग्रेवाल, पूछताछ के बाद छोड़ा

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (एजैंसी): पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने अमरदीप सिंह ग्रेवाल को लुक आऊट सर्कुलर के तहत एयरपोर्ट पर रोका था। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान अमरदीप सिंह ग्रेवाल को एक सप्ताह बाद दोबारा पेश होने के लिए कहा गया है, ताकि उनसे आगे की पूछताछ की जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजैंसी द्वारा ग्रेवाल के खिलाफ जारी एल.ओ.सी. के आधार पर उन्हें हवाई अड्डे पर रोका गया। ई.डी. ने उन्हें पहले दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने पेशी के लिए और समय मांगा था तथा नई तारीख देने का अनुरोध किया था। ग्रेवाल फिल्म जगत की जानी-मानी हस्ती हैं और ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन से जुड़े हैं।

स्नातक स्पैशल चांस की परीक्षाओं और आई.टी.ई.पी. परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी

■ बी.ए., बी.एससी. और बी.कॉम. के प्रथम, तृतीय व 5वें सैमेस्टर स्पैशल चांस की परीक्षाएं 29 अक्तूबर से

शिमला, 17 अक्तूबर (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एच.पी.यू.) ने बी.ए., बी.एससी. और बी.कॉम. के प्रथम, तृतीय व 5वें सैमेस्टर के स्पैशल चांस की परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं बैच 2013 से 2015 और 2016 व 2017 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं 29 अक्तूबर से सुबह और शाम के सत्र में शुरू होंगी।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार संबंधित विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने स्नातक एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (यू.जी. आई.टी.ई.पी.) के प्रथम सैमेस्टर की परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर दी है। यह परीक्षाएं 28 अक्तूबर, 2026 से शुरू होंगी।

स्नातक अनुपूरक परीक्षाएं व सी.डी.ओ.ई. जनवरी बैच की वार्षिक परीक्षाएं 22 अक्तूबर से

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं के अलावा सी.डी.ओ.ई. जनवरी बैच की वार्षिक परीक्षाएं 22 अक्तूबर से शुरू होंगी। प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 21 नवम्बर तक चलेंगी, जबकि द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 25 नवम्बर तक चलेंगी।

द बघाट अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड

ई-मेल: info@baghatbank.com - मुख्य कार्यालय: बघाट बैंक परिसर
राजगढ़ रोड, सोलन - 173212 (हिमाचल प्रदेश), टेलीफोन: 01792-223076, 226286, 226103, फैक्स: 01792-223076, 224886

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ईएमडी (बयाना राशि) जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि और समय: 04.11.2026, शाम 4:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि और समय: 05.11.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत बैंक के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। द बघाट अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुपालन में, बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। इन संपत्तियों को **"जैसी है, जहां है"** और **"जैसी है, वैसी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वैबसाइट www.bankauctions.in पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल/चल संपत्तियों का विवरण:-

क्र. सं.	खाताधारक और अचल सुरक्षित संपत्तियों (संपत्ति/संपत्तियों) के मालिक का नाम	अचल सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय
1.	**मैसर्स रॉयल एसोसिएट्स पार्टनर श्री सुनील कुमार और श्री खेम लाल** कार्यालय, आरोग्य क्लीनिक के पास, देवघाट, तहसील एवं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।	भूमि जिसमें खाता/खतौनी संख्या 0-16 बीघा है, कुल भूमि 02-03 बीघा में से 16/43 हिस्से की सीमा तक, मौजा घड़सी, तहसील और जिला सोलन एचपी में स्थित श्री खेम लाल पुत्र श्री मान सिंह की है।	रु. 57,80,000/- रु. 5,78,000/- रु. 50,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
2.	**मैसर्स रॉयल एसोसिएट्स पार्टनर श्री सुनील कुमार और श्री खेम लाल,** आरोग्य क्लिनिक के पास, देवघाट, तहसील और जिला सोलन एचपी।	भूमि जिसमें खाता/खतौनी संख्या 16/22, खसरा संख्या 16 क्षेत्रफल 0-17 बिगहा है, कुल भूमि 02-03 बीघे में से 17/43 हिस्से की सीमा तक, मौजा घडसी, तहसील और जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित श्रीमती राम प्रभा पत्नी श्री प्रेम प्रकाश की है।	रु. 60,11,000/- रु. 6,01,100/- रु. 50,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
3.	**मैसर्स आशा मशरूम प्रो. आशा गुप्ता,** निवासी ग्राम एवं डाकघर बाशा, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।	भूमि एवं भवन सम्मिलित खाता/खतौनी संख्या 43/79 खसरा संख्या 632, 638, 643, 653, 659, 661, 664, 672 कुल किता 8 कुल क्षेत्रफल माप 06-04 बीघा 3/124 शेयर की सीमा तक जो मौजा बाशा हदबस्त नंबर 402 तहसील कंडाघाट जिला सोलन (एच.पी.) में स्थित 0-03 बीघे और श्रीमती का हिस्सा आता है। आशा पुत्री स्वर्गीय ध्यान सिंह और जय सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री ध्यान सिंह को उनके हिस्से का 1/18 हिस्सा जो प्रत्येक का 7 बिस्वा आता है। कुल क्षेत्रफल 17 बिस्वा.	रु. 16,11,000/- रु. 1,61,100/- रु. 20,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
4.	**श्रीमती कांता देवी** पुत्री श्री जुल्फी निवासी ग्राम घाना डाकघर बगली तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।	खतौनी नंबर 427/606, खसरा नंबर 828, जिसका कुल क्षेत्रफल 00-05-91 हेक्टेयर है, इसमें 88/453 हिस्सा (यानी 0-01-15 हेक्टेयर) शामिल है। यह संपत्ति मोहाल घाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	रु. 18,00,000/- रु. 1,80,000/- रु. 20,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
5.	**मैसर्स मथुरा पंसारी, प्रो. श्री सुधीर शर्मा निवासी ग्राम दुदली,** पो.ओ. भराड़ी, तहसील एवं जिला शिमला हि.प्र. 8250092701000001	खाता/खतौनी नंबर 15/15, खसरा नंबर 49, जिसका कुल क्षेत्रफल 01-04 बीघा है, इसमें 1/8 हिस्सा (यानी 00-03 बीघा) शामिल है। यह संपत्ति श्री रूबल चंद (पिता: श्री गोपाल राम, निवासी: वीपीओ सकलाना, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश) से संबंधित है और मौजा लावी खुर्द, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	रु. 5,65,000/- रु. 56,500/- रु. 10,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
6.	**श्री तुलसी राम** पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी ग्राम खली, तहसील एवं जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	खाता/खतौनी नंबर 11/137, खसरा नंबर 575/308/79, जिसका क्षेत्रफल 00-04-00 बीघा है। यह कुल 01-15-00 बीघा जमीन का 1/9 हिस्सा है। यह संपत्ति मौजा मोहाल खाली, हदबस्त नंबर 796, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया): ग्राऊंड फ्लोर 111.52 वर्ग मीटर (कुमार हट्टी, सोलन)।	रु. 30,80,000/- रु. 3,08,000/- रु. 30,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
7.	**श्री कुंज किशोर पंवार** पुत्र श्री कृष्ण लाल पंवार निवासी मकान नं. 34. डब्ल्यू.एन.ओ. 11, ग्राम पाजो, डाकघर कोटलानाला, तहसील एवं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।	दो मंजिला इमारत का ग्राऊंड फ्लोर, जिसमें दो बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम शामिल हैं। यह संपत्ति खाता/खतौनी नंबर 6/18, खसरा नंबर 888, 889, 890 (कुल 3 खसरा) के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्रफल 43.375 वर्ग मीटर है, जो कुल 347 वर्ग मीटर जमीन का 5/40 हिस्सा है। मौजा सेर, हदबस्त नंबर 45, तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित।	रु. 13,49,000/- रु. 1,34,900/- रु. 20,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
8.	**श्री बीर सिंह** पुत्र श्री बघाट राम निवासी एचएफसीएल बिल्डिंग के पास बसाल रोड सोलन हिमाचल प्रदेश।	सोलन-राजगढ़ सड़क से लगभग 200 मीटर दूर, पाजो गांव में स्थित इमारत की पहली मंजिल (कुल कवर्ड एरिया 43.15 वर्ग मीटर)। यह पूरी तरह से उस जमीन पर बनी है जो खाता/खतौनी नंबर 11/23 और खसरा नंबर 888, 889 व 890 (कुल 3 किता) के अंतर्गत आती है। इसका कुल क्षेत्रफल 347 वर्ग मीटर है और यह मौजा सेर, हदबस्त नंबर 45, तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	रु. 10,46,000/- रु. 1,04,600/- रु. 15,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
9.	**श्री सोनू सिंह** पुत्र श्री जिया लाल निवासी वीपीओ मझेवली, तहसील रामपुर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।	मौजा नेरी खुर्द, तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित जमीन, जो खाता/खतौनी नंबर 2/3 और खसरा नंबर 4 के अंतर्गत आती है। इसका कुल क्षेत्रफल 14-14 बीघा है, जिसमें से 5/294 हिस्सा (यानी 00-05 बीघा) शामिल है।	रु. 2,72,000/- रु. 27,200/- रु. 10,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
10.	**मैसर्स शूलिनी एसोसिएट्स पार्टनर्स श्री प्रशांत चौहान और श्री दर्शन कुमार** निवासी ग्राम गन की सेर, डाकघर सलोगड़ा, तहसील और जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।	. मौजा गुन की सेर, तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित जमीन, जो खाता/खतौनी नंबर 26/27 और खसरा नंबर 364/355/346/176/98/74 के अंतर्गत आती है। जमीन का क्षेत्रफल 01-14 बीघा है।	रु. 27,57,000/- रु. 2,75,700/- रु. 25,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
11.	**मैसर्स रॉयल एसोसिएट्स पार्टनर श्री सुनील कुमार और श्री खेम लाल,** ओ/ओ, आरोग्य क्लिनिक के पास, दियोंघाट, तहसील और जिला सोलन एचपी।	भूमि जिसमें खाता/खतौनी संख्या 19/23 खसरा संख्या 364/355/ 340/176/98/74, क्षेत्रफल 04-05 बीघे 20/85 हिस्से की सीमा तक यानी 01-00 बीघे मौजा गन की सैर, तहसील और जिला सोलन एचपी में स्थित श्रीमती शालू पत्नी श्री बी.आर. ठाकुर से संबंधित।	रु. 25,60,000/- रु. 2,56,000/- रु. 25,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
12.	**श्री संदीप कुमार मेहता,** पुत्र श्री बी.एस. मेहता, निवासी फ्लैट नंबर 2, दूसरी मंजिल, मेगा सिटी, डाकघर बसल, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	भूमि जिसमें खाता/खतौनी संख्या 39/43 खसरा संख्या 107/104/31 है, क्षेत्रफल 5-00 बीघा मौजा धार, तहसील एवं जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	रु. 36,94,000/- रु. 3,69,400/- रु. 40,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
13.	**श्री अश्वनी कुमार,** पुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव मढ़न, डाकघर मंडली, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।	भूमि एवं भवन मोहल खोली, निवासी ग्राम मधान, डाकघर में स्थित है। मांडली, खोली, मौजा टीहरा, उप तहसील बिहडू, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश। खेवट नंबर-9 मिन में शामिल, खसरा नंबर 112, क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर तथा खेवट संख्या-10, खतौनी संख्या-14, खसरा संख्या-113, क्षेत्रफल 147 हेक्टेयर अर्थात कुल भूमि 370 वर्गमीटर में से 147/370 हिस्सा।	रु. 10,98,000/- रु. 1,09,800/- रु. 15,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
14.	**मैसर्स आदित्य ट्रेडर्स, प्रोपराइटर श्री दिलीप सिंह,** निवासी गांव कालाघाट, डाकघर ओचघाट, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	भूमि जिसमें खाता/खतौनी नंबर 5/5, खसरा नंबर 77, 237/107 मिनट, 159, 238/160 और 239/160 किता 5, क्षेत्रफल 4-19 बीघा, मौजा कोटला पंजोला, तहसील नारग, जिला सिरमौर एचपी में स्थित है, जो श्री सोम दत्त पुत्र श्री किशन सिंह की है।	रु. 60,89,000/- रु. 6,08,900/- रु. 50,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
15.	**श्री किशन सिंह पुत्र श्री सुंदर सिंह** निवासी ग्राम केरी मथान, डाकघर सारथान, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश।	भूमि जिसमें खाता/खतौनी नंबर 53 मिन/91, खसरा नंबर 969/285 कुल क्षेत्रफल 09-01 बीघा 1/8वें हिस्से की सीमा तक यानी 01-02 बीघा मौजा मोहाल चौकी चाड़ेच, पच्छाद, जिला सिरमौर एचपी में स्थित है।	रु. 5,78,000/- रु. 57,800/- रु. 10,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
16.	**श्रीमती सुशीला पत्नी श्री जगदीश दास और श्री अंशुमान पुत्र श्री जगदीश दास** निवासी ग्राम खलटू, डाकघर सुबाथू, तहसील और जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।	भूमि जिसमें खाता/खतौनी संख्या 34/36, खसरा संख्या 252/181 कुल क्षेत्रफल 17-19-17 बीघा, 1/24वें हिस्से की सीमा तक यानी 00-15 बीघा खालटू, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	रु. 4,50,000/- रु. 45,000/- रु. 10,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
17.	**मैसर्स ब्रिजेश्वर एप्पल एजेंसी, प्रो. श्री राजेश पुत्र श्री भगत चंद** नई सब्जी मंडी, बाय पास रोड, जिला। सोलन हिमाचल प्रदेश।	खाता/खतौनी नंबर 51/57, खसरा नंबर 35, 201/37, 38, 46, 53 किता 5 में शामिल भूमि, 16/576 शेयरों की सीमा तक 29-1 बीघा मापती है, जो मौजा भनान, तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित 00-16 बीघा है।	रु. 7,70,600/- रु. 77,060/- रु. 10,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
18.	**मैसर्स गगन फिलिंग स्टेशन, प्रो. श्री प्रकाश चंद करार,** निवासी ग्राम कोठी, पी.ओ. कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि.प्र.	जमीन और इमारत, जिसमें खाता/खतौनी नंबर 34/101 (कित्ता-3, कुल 0-11-42 हेक्टेयर/वर्ग मीटर) का 1/80 हिस्सा यानी 0-00-14 हेक्टेयर/वर्ग मीटर; खाता/खतौनी नंबर 35/102 से 106 (किट्टा-6, कुल 0-10-72 हेक्टेयर/वर्ग मीटर) का 764/48896 हिस्सा यानी 0-00-17 हेक्टेयर/वर्ग मीटर; खाता/खतौनी नंबर 61/123 से 137 (किट्टा-35, कुल 0-31-84 हेक्टेयर/वर्ग मीटर) का 1/64 हिस्सा यानी 0-00-97 हेक्टेयर/वर्ग मीटर; खाता/खतौनी नंबर 62/138 से 140 (किट्टा-8, कुल 0-38-53 हेक्टेयर/वर्ग मीटर) का 12/960 हिस्सा यानी 0-00-48 हेक्टेयर/वर्ग मीटर; और खाता/खतौनी नंबर 63/141 से 149 (किट्टा-10, कुल 0-10-83 हेक्टेयर/वर्ग मीटर) का 1/80 हिस्सा यानी 0-00-13 हेक्टेयर/वर्ग मीटर शामिल है। कुल क्षेत्रफल 0-018-9 हेक्टेयर/वर्ग मीटर है, जो मोहाल कोठी कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया): ग्राउंड फ्लोर 180 वर्ग मीटर, फर्स्ट फ्लोर 180 वर्ग मीटर; कुल 360 वर्ग मीटर श्री पदमा राम पुत्र श्री रिर्कू राम से संबंधित	रु. 1,15,48,000/- रु. 11,54,800/- रु. 1,00,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
19.	**श्री गौरव बाली** पुत्र श्री रवि बाली, निवासी जेबीटी स्कूल के नीचे विकास लॉज, कोटलानाला, राजगढ़ रोड, तहसील और जिला। सोलन, हि.प्र.	भूमि जिसमें खाता/खतौनी नं. 257/246, 288/277 खसरा नंबर 192, 199, 200 कुल भूमि क्षेत्रफल 06-12-02 बीघा / बिस्वा / बिस्वांसी 1/4 हिस्से की सीमा तक यानी 01-13-00 बीघा / बिस्वा / बिस्वांसी मौजा और तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिप्र. में स्थित है।	रु. 20,20,000/- रु. 2,02,000/- रु. 20,000/-	05.11.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

नियम और शर्तें :- यह बिक्री 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समैंट) रूल्स 2002% में निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:-

1. संपत्तियों की बिक्री **"जैसी है, जहां है"**, **"जैसी है, वैसी है"** और **"जो कुछ भी है, उसी स्थिति में"** के आधार पर की जा रही है।
2. ऊपर दी गई अनुसूची में बताई गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
3. ईएमडी (बयाना राशि) नीलामी से एक दिन पहले, यानी **04.11.2026** तक, बघाट बैंक सोलन की शाखा में 'बघाट बैंक सोलन' के पक्ष में, **खाता संख्या 733102000000170 IFSC: IBKL0000733** में जमा करनी होगी।
4. यह बिक्री अधिकृत अधिकारी द्वारा **https://www.bankauctions.in** वैबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी (E-auction) प्लेटफॉर्म के माध्यम से **05.11.2026** को सुबह **11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे** के बीच की जाएगी।
5. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.bankauctions.in और https://www.baghatbank.com देखें। किसी भी अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक बोलीदाता (bidders) अधिकृत अधिकारी से **मोबाइल नंबर +91-98052-00422 और +91-98052-00438** पर संपर्क कर सकते हैं।
6. संपत्तियों को देखने के लिए 23.10.2026 और 29.10.2026 को सुबह 11:00 बजे का समय तय किया गया है।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) और 8(6) के अंतर्गत 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना।

अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 18.10.2026 स्थान: सोलन (हि.प्र.) **द बघाट अर्बन को-ऑप. बैंक लिमिटेड**